

18.10.2024:—पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता
उपस्थित नहीं। प्रार्थी का मूल वाद पत्र अदम
पैरवी/अदम हाजरी में खारिज हो गया है।
इसलिए मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी
होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष
नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के
कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा
212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि
जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद
तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Handwritten signature

सहायक क्लर्क

एव उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

